यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड- 3, राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड- 3, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.10.2020 से 06.11.2020 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनंद पाण्डेय, लेखापरीक्षक, श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री बी.बी.एम.त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.12.2019 से 12.12.2019 तक श्री के.एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**VAT/GST अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	1137.68
2018-19	732.28
2019-20	893.84

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड- 3, राज्य कर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड- 3, राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: **-------** (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण `3.90 लाख।

प्रस्तर- 02 : कर का न्यूनारोपण ` 0.32 लाख।

प्रस्तर- 03 : आई0टी0सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 0.10 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 01 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण `3.90 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) (b) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में (i) **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)** देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा (ii) **(दिनांक 31.03.2015 से)** यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड- 3, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` **21,41,742/-** को विलंब से जमा किया गया था। अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` **3,90,926/-** का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था। (**विवरण संलग्न**)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>जांचोपरांत कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।</u>

अतः ` **3.90** लाख के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	जी टैक इंडस्ट्रियल प्रोडक्टस, हरिद्वार	05008310403	2015-16	April to June 2015	20-Jul-15	14-Oct-15	86	200000.00	20.00	40000
				April to June 2015	20-Jul-15	14-Oct-15	86	133946.00	20.00	26789
				July to Sep 2015	20-Oct-15	19-Dec-15	60	50000.00	20.00	10000
				July to Sep 2015	20-Oct-15	19-Dec-15	60	150000.00	20.00	30000
				July to Sep 2015	20-Oct-15	25-Jan-16	97	245300.00	20.00	49060
				Nov-15	20-Dec-15	14-Mar-16	85	120895.00	20.00	24179
				Oct-15	20-Nov-15	14-Mar-16	115	147190.00	20.00	29438
				Dec-15	20-Jan-16	29-Mar-16	69	136641.00	20.00	27328
				Jan-16	20-Feb-16	16-May-16	86	146490.00	20.00	29298
				Feb-16	20-Mar-16	16-May-16	57	88025.00	20.00	17605
				Jan to March 2016	20-Apr-16	08-Jun-16	49	110652.00	20.00	22130
2	अर्चना एंटर प्राइजेज़	05010227220	2016-17	Apr-16	20-May-17	23-May-	3	78100.00	5.00	3905

	रामधाम कॉलोनी, हरिद्वार					17				
				May-16	20-Jun-16	08-Aug-16	49	133250.00	20.00	26650
				Jun-16	20-Jul-16	08-Aug-16	19	72232.00	5.00	3612
				Dec-16	20-Jan-17	31-Jan-17	11	99150.00	5.00	4958
				Mar-17	20-Apr-17	23-May-17	33	123305.00	20.00	24661
				Feb-17	20-Mar-17	08-May-17	49	106566.00	20.00	21313
						TOTAL		**2141742.00**		**390926.10**

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर - 02 : कर का न्यूनारोपण ` 0.32 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड- 3 राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि

(i) व्यापारी **सर्वश्री आयुर्दा एंटरप्राइजेज़, TIN-** 05016856015, की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में सेंड मीडिया की ` **1,50,000/-** की बिक्री पर 5% की दर से ` 7500/- की कर देयता निर्धारित की गई थी जबकि सेंड मीडिया के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण**,** इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः ` **1,50,000/-** की सेंड मीडिया की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 12,750**/-** का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

(ii) व्यापारी **सर्वश्री के ए एंटरप्राइजेज़** हरिद्वार (टिन 05014936473, संगत वर्ष 2016-17) का व्यापार एलईडी बल्ब की खरीद बिक्री का है। संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा कुल खरीद ₹69,572.00 की एवं कुल विक्री ₹1,29,600.00 की घोषित की गयी थी। सम्पूर्ण बिक्री पर 5% की दर से करारोपण किया गया था, परंतु उल्लेखनीय है कि एलईडी बल्ब, अबर्गीकृत की श्रेणी मे है। अतः उक्त बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार उक्त बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% से कर ₹11,016.00 आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

(iii) व्यापारी **सर्वश्री जे.बी.के. एसोसिएट, हरिद्वार** की वर्ष 2015-16 की कर निर्धारण पत्रावली में कोलीन की ` 1,01,356**/-** की बिक्री पर 5% की दर से `5,068/- की कर देयता निर्धारित की गई थी जबकि **कोलीन** के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण**,** इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः

`1,01,356/- की **कोलीन** की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से `**8,615/-** का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त प्रकरणों {(i) - (iii)} के संबंध में, लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाएगा।

अतः `32,381/- (12750 **+** 11016 + 8615**)** लाख के कर के न्यूनारोपण का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर- 03 : आई0टी0सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति `0.10 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ई) के प्रतिबंधित प्रावधानों के अनुसार कराधेय माल के उत्पादन या कैपटिव पावर के ईंधन के रूप में उपयोग किए गए पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ़्यूल, प्राकृतिक गैस और डीज़ल को छोडकर) और अन्य ईंधन के क्रय पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए गए कर के संबंध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा, लेकिन इसमें मोटर यानों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त ईंधन सम्मिलित नहीं होगा। पुनः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(**x**i) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में पाँच हज़ार रुपए या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि**,** जो भी अधिक हो**,** का भुगतान करेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-3, **राज्य कर, हरिद्वार** की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री अंजुम डेयरी एण्ड स्वीट्स, शिवालिक नगर, हरिद्वार, टिन: 05015254924, के 2015-16 के प्रांतीय कर निर्धारण वाद की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा गैस की ₹1,20,353/- की खरीद घोषित करते हुए 16,248/- की आई.टी.सी. का दावा किया गया था किन्तु उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार फ्युल (गैस) की खरीद ₹1,20,353/- पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए गए कर के संबंध में आंशिक आई.टी.सी. ₹13841/-(₹120353@11.5%) का लाभ अनुमन्य था। अतः व्यापारी को ₹ 2,407/- (16248 - 13841) की आईटीसी का अधिक लाभ अनुमन्य किया गया था जो राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतितिक्त अधिनियम की धारा 58(1)(**x**i) के अनुसार गलत दावा की गई ITC की उक्त राशि का तीन गुना अर्थात ₹7,221/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>जांचोपरांत कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।</u>

अतः आई0टी0सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनरोपण के कारण `9628/- (2407 + 7221) की राजस्व क्षति का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
40/2011-12	02	01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12	-
36/2013-14	01,02,03	-	01,02,03
35/2014-15	-	01,02	-
129/2016-17	01	01,02	-
123/2017-18	-	01,02,03,04,05,06,07,08	STAN
106/2019-20	-	01,02	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड- 3, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राम लाल	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV